राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर–302005

(ई–प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से अल्पकालीन बोली आमन्त्रण सूचना संख्या **03 / 2021–22**)

मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु

अनुमानित लागत

राशि रू. 299.00 लाख

मिशन निदेशक, एनएचएम,

कमरा नं0–301, तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन,

तिलक मार्ग,सी स्कीम, जयपुर

दूरभाष नं. 0141–2221590

बोलीं आमन्त्रण के प्रपत्रो का विवरण

क्र.सं.	विवरण	पेज संख्या
1	बोली आमन्त्रण सूचना विवरण	03
2	निविदादाता हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश	04
3	बिड की सेवा एवं शर्ते	05 से 12
4	तकनीकी बोली प्रपत्र	13 से 15
5	बोलीदाता द्वारा घोषणा	16
6	वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 04.02. 2013 के एनेक्जर ए, बी, सी डी एवं ई	
	(A)	17
	(B)	18
	(C)	19–21
	(D)	22–23
	(E)	24
7	प्रपत्र 02	25–26
8	प्रपत्र 03	27
9	प्रपत्र 04	28
10	प्रपत्र 05	29
11	प्रपत्र 06	30
12	प्रपत्र 07	31–32
13	अनुबंध का प्रारूप	33–34

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. F. 20 (563)/NHM/HR/Tender/2021/ 2904 Date: 30/12/2021

बोली आमन्त्रण सूचना संख्या 03/2021–22

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यालय, जयपुर में कार्य व्यवस्था हेतु एक वर्ष के लिये विभिन्न प्रकार के नीचे वर्णित पदों की संविदा सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु इच्छुक बोली दाताओं से खुलीबोली आमंत्रित की जाती है:–

कार्य का नाम	अनुमानित लागत	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रारंभ की तिथी	बोली प्रतिभूति राशि	बोली अपलोड करने की प्रारंभ/अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी बोली खोलने की तिथि, समय एवं स्थान
राज्य स्वास्थ्य समिति (एन.एच.एम.) राजस्थान, जयपुर के तहत विभिन्न शाखाओं/अनुभागो में सीनियर कार्यक्रम सहायक, कार्यक्रम सहायक, जूनियर प्रोग्रम असिस्टेन्ट, पीए/स्टेनो, प्रोग्राम असिस्टेन्ट कम डीईओ, सपोर्ट स्टाफ (सहायक कर्मचारी) एवं वाहन चालकों की सेवाऐं उपलब्ध करवाना	299.00 लाख	1000.00	दिनांक 31.12.2021	बिड प्रतिभूति घोषणा पत्र राशि रू 50/–के स्टाम्प पर	दिनांक 31.12.2021 से दिनांक 07.01.2022 को सांय 04:30 बजे तक	दिनांक 07.01.2022 को सांय 05:00 बजे सर्वर रूम, कमरा नं0 302, तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

बोली के साथ बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र के रूप में 50 रू0 के स्टाम्प पर दी जानी है। बोली प्रपत्र शुल्क राशि रू0 1000/– की डी.डी. राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के नाम से देय होगीं एवं राशि रू0 1000/– की प्रोसेसिंग शुल्क का डीडी (जो एमडी, आरआईएसएल,जयपुर के नाम में देय होगी) भी संलग्न करना होगा। बोली की विस्तृत शर्तें एवं सूचना https://sppp.rajasthan.gov.in, http://rajswasthya.nic.in पर **दिनांक 31.12.2021** से देखी जा सकती है एवं https://eproc.rajasthan.gov.inपर दिनांक **31.12.2021 को दोपहर 03.00 बजे** से अपलोड की जा सकती है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रोनिक फारमेट में वेब साईट https://eproc.rajasthan.gov.inपर अंतिम तिथि एवं नियत समय तक जमा करावें।

मिशन निदेशक
एनएचएम

बोलीदाताओ के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. बोली में भाग लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट https://sppp.rajasthan.gov.in / https://eproc.rajasthan.gov.in/ rajswasthya.nic.in से डाउनलोड (Download)कर सकते है।
2. बोलीमें भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in/ https://sppp.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC) इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलैक्ट्रोनिक बोली में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। यदि बोलीदाता के पास पूर्व से डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC) से उपलब्ध है, तो पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
3. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नही होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जावेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक रूप में स्वीकार्य नही होंगे।
4. इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच/संलग्न कर दी गयी है। निविदा के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
5. बोली दाता द्वारा बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र के रूप में दिया जाना है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1990 की धारा 3 सपठित अनुसूचि के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/– रूपये स्टाम्प डयूटी देय है तथा इस स्टाम्प डयूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः निविदा दाता निर्धारित स्टाम्प पर बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र बिड के साथ अपलोड करे तथा घोषणा पत्र को निविदा शुल्क आरआईएसएल शुल्क (जो एमडी, आरआईएसएल, जयपुर के नाम में देय होगी) के साथ निर्धारित अवधि में भौतिक रूप में भी जमा करावे।
6. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रो के साथ निविदा शुल्क एवं बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र तथा आर.आई. एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं ब्रिकी कर/सेवा कर चुकता का प्रमाण पत्र की प्रतियॉ वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in /https://eproc.rajasthan.gov.inपर अपलोड करना आवश्यक है। उक्त दस्तावेज की भौतिक प्रतियॉ आवश्यक रूप से निविदा शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के साथ नियत तिथि दिनांक 07.01.2022 को सांय 04:30 बजे तक कमरा नं0 216, द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में जमा करानी होगी। अंकित दस्तावेजो को नियत तिथि एवं समय पर उपलब्ध न कराने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
7. कोई भी निविदा इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होगा। eproc पोर्टल से सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्प डेस्क नम्बर 0141–4022688 पर संम्पर्क करें।
8. ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेंगी। राजकीय अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को उसी समय पर खोली जावेंगी।
9. तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की सूचना निविदादाताओं को ई–मेल से दी जावेगी। निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, राजस्थान जयपुर

तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर–302005

बोली की सेवा एवं शर्तेः–

A–उपापन प्रक्रिया से संबंधित

1. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.02.2013 के तहत निर्धारित Annexure-A, B, C, D & E की पूर्ति कर संलग्न करना होगा।राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम) जयपुर द्वारा जारी बोली प्रपत्र के निम्न प्रकार 5 भाग हैं:–
   (1) तकनीकी बोली प्रपत्र–1
   (2) वित्त विभाग परिपत्र दिनांक 04.02.2013 प्रपत्र A, B, C, D &E–2
   (3) दायित्व एवं स्वघोषणा बोली लगाने वाले द्वारा(Undertaking and declaration by bidder)–3, 4
   (4) AverageAnnual turn over– 5
   (5) वित्तीय बोली प्रारूप (पृथक से भरा जायेगा) –6
2. बोली प्रस्तुत करने वाले इच्छुक ठेकेदार/संस्था द्वारा तकनीकी व वित्तीय बोली, दोनों प्रपत्र, भरना अनिवार्य है।
3. तकनीकी बोली **प्रपत्र– 1** सहित समस्त दस्तावेज, बिड की समस्त शर्ते ऑन लाईन प्रथम कवर में दस्तावेज सहित अपलोड करने होंगे। RISL प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 1000/–(अक्षरे एक हजार रू मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो एमडी, आरआईएसएल, जयपुर के नाम में देय होगी, को संलग्न करना होगा।

3.1 बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 1000/– (अक्षरे एक हजार रू मात्र) का जयपुर में भुगतान योग्य बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी, जयपुर के नाम देय होगा तथा बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र राशि रू 50/– रूपये के स्टाम्प पर देय होगी।

3.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर द्वारा जारी किये गये बोली प्रपत्र के साथ दिये गये बोली की डिजिटल साइन विशेष शर्तों संबंधी **प्रपत्र– 3 एवं प्रपत्र– 4** ठेकेदार/संस्था द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरशुदा मय मोहर होना आवश्यक है। अहस्तारक्षित प्रपत्रों की स्थिति में वित्तीय बोली पर कोई विचार नही किया जावेगा।

3.3 गत तीन वर्षो 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 में राजकीय विभागों/निगमो/सहकारी संस्थाओं, सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थाओं एवं राज्य सरकार के अधीन स्वायत्तशाषी संस्थाओं में उपलब्ध करवाये गये संविदा कार्मिको के संबंध में कार्य आदेश तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

3.4 फर्म के द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष (2018–19, 2019–20 तथा 2020–21) में न्यूनतम 25 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (कम्प्यूटर ऑपरेटर) या न्यूनतम 25 सपोर्ट स्टॉफ उपलब्ध करवाये जाने का एकल कार्यादेश प्रस्तुत करना आवश्यक है। साथ ही बिडदाता गत तीन वर्षो (2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में से कोई 03 वर्ष) के अंकेक्षित अंतिम खाते संलग्न करना होगा।

3.5 बिडदाता द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षो (2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में से कोई 03 वर्ष) का राशि रू 60 लाख (साठ लाख रूपये) का Average Annual Turnover certificate संलग्न करना आवश्यक है, इस प्रमाणक हेतु Annexure–5 में Average turn over Chartered Account(CA) से प्रमाणित करवा कर बिड के साथ संलग्न करे।

3.6 यह बोली RTPP Act &Rules के अन्तर्गत आमंत्रित की जा रही है। किसी भी स्थिति में इस बोली दस्तावेज की शर्तों और RTPP Act &Rules के प्रावधानों में कोई विसंगति दृष्टिगत होती है तो RTPP Act& Rules के प्रावधान अभिभावी रहेंगें।

4. वित्तीय बोली प्रपत्र में दरें ऑन लाईन प्रस्तुत की जावेगी। वित्तीय बोली में यदि अंकगणितीय त्रुटि होती है तो शब्दो में अंकित बोली मान्य होगी। बोली अंको एवं शब्दों दोनो में अनिवार्य है।

5. श्रम विभाग की नवीनतम अधिसूचनामें उल्लेखित श्रम दरों से कम दरों की निविदा स्वीकार्य नही होगी इसके साथ ही ऋणात्मक अथवा शून्य सर्विस चार्ज वाली निविदाओं पर भी विचार नहीं किया जायेगा। शर्त सहित बोलियों को स्वीकार नही किया जावेगा। एक से अधिक फर्मो से समान न्यूनतम दर प्राप्त होने पर, किसी एक फर्म को अथवा एक से अधिक फर्मों को (आनुपातिक रूप से) कार्यादेश जारी करने का पूर्ण अधिकार राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी में निहित होगा एवं सभी बोलीदाताओं को मान्य होगा।

6. निर्धारित दिनांक व समय पर ऑन लाईन अपलोड की गई बोलियों को यथा सूचित स्थान/कार्यालय में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्व प्रथम तकनीकी बोली को खोला जावेगा। इस हेतु गठित कमेटी/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी बोलियोंका परीक्षण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार किया जावेगा।

7. तकनीकी बोली प्रपत्र–1 की सूचनायें मूल्यांकन की अनिवार्य शर्ते है, जिनके आधार पर बोलीदाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा।

8. बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में समिति बोलीदाता के व्यावसायिक ठिकाने व अन्य समुचित स्थानों पर भी भौतिक सत्यापन कर सकती है।

9. तकनीकी बोलियों के परीक्षण तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतीकरण, भौतिक सत्यापन आदि के बाद केवल उन बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली डाउनलोड की जायेगी, जो कि तकनीकी बोली परीक्षण/प्रस्तुतीकरण में सफल/उपयुक्त पाये जावेंगे। असफल/अनुपयुक्त बोलीदाताओं की वित्तीय बोलीयों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

10. तकनीकी बोली में सफल रहे बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली डाउनलोड की जावेगी जिसका स्थान एवं तिथि तकनीकी बोली में सफल रहे बोलीदाताओं को पृथक से सूचित कर दिया जावेगा। वित्तीय बोली में प्राप्त न्यूनतम सेवा शुल्क दरों वाली एजेन्सी को कार्यादेश दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

11. बोली में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त बोलीदाता की स्वीकार नहीं होगी।निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर को होगा तथा संविदा की शर्तो की पालना नहीं करने या सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने की दशा में कार्यादेश निरस्त करते हुए जमा राशि जब्त कर ली जावेगी। उपापन प्रक्रिया किसी भी समय रद्द करने का अधिकार मिशन निदेशक, एनएचएम के पास सुरक्षित रहेगा।

12. किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड/डिबारमैन्ट नहीं होने का स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आर.एफ.पी. की शर्तो में यदि किसी कारण से संशोधन मिशन निदेशक, एनएचएम द्वारा किया जा सकता है तो इस हेतु नियमानुसार संशोधन जारी किया जायेगा।

14. प्रस्तावित कार्य की निविदा अवधि अनुबंध तिथि से एक वर्ष के लिए होगी जो फर्म एवं विभाग की सहमति से RTPP Act & Rulesके अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।

15. बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील होना आवश्यक है।

16. उक्त सभी शर्तो को स्वीकार करने व सहमत होने के प्रमाण में निविदादाता द्वारा नीचे हस्ताक्षर किये गये है अर्थात सभी शर्ते निविदादाता को स्वीकार है।

17. निविदा प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार होगें।

18. **<u>बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि</u> :– वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 18 दिसम्बर 2020 के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार सेवा प्रदाता को बिड फार्म के साथ बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संलग्न प्रारूप (एनेक्जर–ई) में भरकर देना होगा।**

19. <u>सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता (Most Advantageous Bidder) का चयन</u>
वित्तीय बोली में यदि ऐसी स्थिति उत्पन होती है जिसमें एक से अधिकबोली दाताओ द्वारा समान न्यूनतम सेवा शुल्क दरे प्रदान की गई है तो सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता (Most Advantageous Bidder) का चयन निम्न शर्तों के आधार पर किया जायेगाः–

I. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये उनके तीन वर्षो के कार्यादेशों अनुसार उपलब्ध कराये गये मानव संसाधनों (डेटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं सपोर्ट स्टॉफ) की संचयी संख्या (Cummulative of Three Years) के सर्वाधिक होने पर बिडदाता का चयन किया जायेगा।

II. बिन्दु संख्या। के पश्चात भी एक से अधिकसमान न्यूनतम सेवा शुल्क दर वाले बिडदाता पाये जाते है तो उनके गत तीन वित्तीय वर्षो (2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में से कोई 03 वर्ष) में सर्वाधिक Average Annual Turnover वाले बिडदाता का चयन किया जायेगा।

सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता (Most Advantageous Bidder) का चयन उपरोक्तानुसार किया जायेगा तथा तदनुसार उस सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता को कार्यादेश दिया जा सकेगा।

20. **बातचीत (Negotiation) :–**

(1) जहा तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगीः–

(क) जब बोली लगाने वालो के द्वारा मिलकर समूह कीमते (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(2) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए 07 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

21. **बोली की विधि मान्यताः–**

(1) दरो की वैद्यता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

(2) अनुमोदित सेवादाता के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली सेवा शर्तो आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है।

(3) बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अय एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।

(4) बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

22. **कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण** (Forfeitureof Work Performance Security Deposit) :—सूरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नाकिंत मामलो में समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगाः—

(अ) जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।
(ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में, असफल रहा हो।
(स) सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलो में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
(द) यदि सेवा प्रदाता अनुबंध के की गई शर्तो या आर.एफ.पी. में दिए गए प्रावधानों की अनुपालना करने में असफल रहता है तो सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति जब्त की जावेगी।
(य) सेवा प्रदाता को दिए गए निर्देशों की अनुपालना नहीं करने पर या उपलब्ध कराये गए कार्मिको के कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर इसे संविदा भंग माना जावेगा तथा प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।

23. **करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security)**:—न्यूनतम दर वाली निविदादाता एजेन्सी को कार्यादेश जारी होने की तिथि के सात दिवस में नियमानुसार अनुबंध करना होगा एवं कार्यादेश राशि की 2.5 प्रतिशत राशि, प्रतिभूति राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक अथवा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित अन्य प्रारूपों के माध्यम से **राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी**, जयपुर पर जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता कार्य आदेश जारी होने के सात दिवस के भीतर राशि रू 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध स्थापित कराना होगा।

(1). बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगेः—

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र।

(2). करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादित नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य हैं। कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(3). संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, संविदा अवधि समाप्ति पर नियमानुसार कार्य सम्पादन का प्रतिदाय (Refund) किया जायेगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी/Pledge करने आदि में यदि कोई व्यय होता है, तो वह बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा किसी प्रकार का ब्याज इत्यादि का भुगतान देय नहीं होगा। राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदाप्रतिपडत (Counterfoil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

B–सफल बोलीदाता से संबंधित

24. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराने जाने वाली मैनपावर/कार्मिक अस्थायी होंगे तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उसके द्वारा लगाये कर्मियों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। सेवाओं को किसी भी नियमित नियुक्ति एवं नियोजन/समायोजन के संबंध में कोई अधिकार नही होगा। एनएचएम एवं कार्यरत कार्मिको के मध्य किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होगा। ठेकेदार श्रम विभाग की दरो, नियम एवं विनियम आदि की पालना स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित करेगा।अनुबन्ध से पूर्व निविदादाता द्वारा सेवाओं के उक्त पदों हेतु उपयुक्त अभ्यार्थियों की सूची (योग्यता एवं अनुभव अंकित करते हुए) प्रस्तुत करनी होगी। जिन व्यक्तियों हेतु एनएचएम द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी उन व्यक्तियों की ही सेवाएं अनुबंधकर्त्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

25. श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानो के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह सेवा प्रदाता एजेन्सी स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगी। अपने कर्मकारो के कार्य दिवस, कार्य घण्टे दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरांत सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता एजेन्सी की होगी तथा यह अभिलेख प्रतिमाह मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर के निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

26. कार्य हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले समस्त मैनपावर/कार्मिकों का पुलिस वेरीफिकेशन करवाया जावेगा एवं विभाग द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मैनपावर/कार्मिकोंकी योग्यता एवं दक्षता परीक्षण के उपरान्त योग्य को ही कार्य स्थल पर लगाया जायेगा। बोली दाता द्वारा उपलब्ध कराई गयी अयोग्य मैनपावर/कार्मिकों को कार्यस्थल पर लगाये जाने के लिये विभाग बाध्य नही होगा।

27. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य सम्पादन हेतु कार्यादेश में वर्णित संख्या में मैनपावर उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी समय सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्यादेश अनुसार मैनपावर उपलब्ध नही करायी जाती है तो सेवा प्रदाता अनुबन्ध में अनुमोदित राशि के आधार पर कम उपलब्ध कराये गयेमैनपावर/कार्मिकोंकी अनुपस्थित अवधि की राशि की गणना कर आंकलित राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि शास्ति के रूप में बिल में से काटी जावेगी। सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा वास्तव में उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की उपस्थिति संबंधित प्रभारी/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा। सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कम संख्या में कार्मिक उपलब्ध कराने या उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अन्य सेवा प्रदाता एजेन्सी से सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी स्वतन्त्र होगा तथा सेवा प्रदाता एजेन्सी से उक्त सेवाओं के लिये निर्धारित दर से अधिक दरों पर की गई भुगतान की राशि Risk & lost सिद्धान्त के अनुसार वसूल की जावेगी।

28. उपलब्ध कराये जाने वाली सेवाओं के संबंध में समस्त श्रम कानूनों एवं अन्य संबंधित कानूनों की पालना व जहॉं आवश्यक हो भुगतान सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पूर्णतः संवेदक का होगा। भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कार्मिको के संबंध में या कार्मिको के भुगतान के संबंध में समस्त अधिनियमों एवं नियमो की पालना सेवा प्रदाता को करनी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सेवा प्रदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति की किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदारी नहीं होगी। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशो के प्रावधान, श्रम विभाग के प्रावधान, ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्नमूलन) अधिनियम–1970 की उपधारा (02) तथा उसके अधीन बनाये गये राजस्थान ठेका श्रमिक नियम, 1971 के अन्तर्गत यथा आवश्यकतानुसार लागू होगें।

29. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानो की अनुपालना का दायित्व संबधित संवेदक का होगा।

30. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज के साथ संवेदक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

31. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 अनुसार यदि संवेदक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी को प्राप्त होती है तो सोसायटी इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और शिकायत के सही पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में कार्यादेश/अनुबन्ध निरस्त करने और संवेदक के Debarmentकराने की कार्यवाही करेगी।

32. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मददेनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

33. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 अनुसार कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा नियोजित सेवाओं की कार्य के समय या कार्य समय के उपरान्त किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने अथवा उसे मुआवजा आदि देने की समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाता एजेन्सी की होगी। इसके लिए राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति जिम्मेदार नहीं होगा।

34. विभाग की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने पर विभाग द्वारा निर्धारित राशि संवेदक से वसूल की जावेगी।

35. मिशन निदेशक, एनएचएम द्वारा सेवा प्रदाता को 14 दिन का नोटिस दिया जाकर कभी भी अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

36. संवेदक द्वारा मानव संसाधनो की सूचनाएं ऑनलाईन पोर्टल पर संधारित की जाकर परियोजना निदेशक– एनएचएम को उपलब्ध करवानी होगी।

C–भुगतान/शास्तिसे संबंधित

37. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा अपने कर्मकारों को नियमानुसार दिया जाने वाला पारिश्रमिक राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी द्वारा प्रतिमाह उपस्थिति जारी करने के 07 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से उनके बैंक खातो में जमा कराया जावेगा, चाहे विभाग से किसी भी कारण से सेवा प्रदाता एजेन्सी को देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो। किसी भी स्थिति में उपस्थिति जारी करने के 07 दिवस के भीतर कार्मिको को भुगतान नहीं करने पर इसके उपरांत फर्म के प्रस्तुत बिलो में से प्रतिदिन 01 प्रतिशत (अधिकतम कुल 05 प्रतिशत) राशि की दर से शास्ति (Penalty) देय होगी, जो कि आगामी बिलो से उक्त शास्ति (Penalty) को समायोजित किया जावेगा।

38. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा भुगतान हेतु प्रतिमाह का बिल आगामी माह के प्रथम सप्ताह में राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी को प्रस्तुत किया जावेगा। संवेदक द्वारा नियोजित कार्मिको के बैंक खातो में जमा करवाई गई पारिश्रमिक राशि का विवरण राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी को संबंधित माह, जिसके पेटे बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। जिसके अभाव में राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सी के बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा। सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा प्रत्येक नियोजित कार्मिकों के पारिश्रमिक राशि का विवरण प्रस्तुत करने के उपरान्त विभाग द्वारा बोली/अनुबन्ध की समस्त शर्तों को दृष्टिगत रखकर बिल पारित किये जायेगें। पारित राशि में से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर/शास्ति राशि की कटौति कर शेष राशि का भुगतान फर्म को किया जावेगा।

39. संवेदक द्वारा प्रत्येक माह के लिए मैनपावर/कार्मिकों के मासिक पारिश्रमिक से नामवार काटी गई पी.एफ., ई.एस.आई. तथा जीएसटी राशि के संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिमाह देना होगा कि विगत माह में काटी गई पी.एफ., ई.एस.आई. की राशि तथा नियमानुसार देय जीएसटी की राशि का शत प्रतिशत भुगतान संबंधित विभागों को किया जा चुका है एवं इस मद में कोई राशि का भुगतान किया जाना शेष नही है। फर्म द्वारा मैनपावर/कार्मिकों को उनके पारिश्रमिक के भुगतान (जो निर्धारित श्रेणी की न्यूनतम मानदेय दरों से कम नही होगा) करने के साथ ही नियमानुसार पी.एफ., ई.एस.आई. एवं जीएसटी की राशि स्वयं के स्तर से जमा कराई जावेगी। इस संबंध में फर्म द्वारा राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी के द्वारा मांगे जाने पर नामवार वांछित वैधानिक अभिलेख निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रस्तुत नामवार अभिलेख स्पष्ट नहीं होने पर विभाग द्वारा कार्यादेश निरस्त किया जा सकेगा। ई.पी.एफ. व ईएसआई व अन्य की जमा कराई गई राशि की चालान प्रतियां भी राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति में प्रस्तुत की जावेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा विभाग को दिया जायेगा।

40. संवेदक द्वारा कार्मिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करो को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा करवाये गये जीएसटी के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। जीएसटी राशि जमा करवाने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में जीएसटी का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में जीएसटी के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

41. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमो, उपनियमो व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशो की पालना का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमो, उपनियमो, दिशा–निर्देशो आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दाायित्वो के लिये संवेदक स्वयं उत्तदायी होगा।

42. संवेदक द्वारा कार्मिको की भुगतान एवं अन्य संबंधित शिकायतो के निवारण हेतु हैल्पलाईन नम्बर/ई–मेल आईडी स्टेट हैल्थ सोसायटी के कार्यालय में उपलब्ध करवाना होगा।

D–मानव संसाधन (एचआर) से संबंधित

43. बोलीदाता/संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये मैनपावर/कार्मिकों से रजिस्ट्रेशन अथवा अन्य किसी कार्य के लिए किसी प्रकार का शुल्क/राशि वसूल नहीं की जायेगी और ना ही इसके लिए मानदेय में से किसी भी प्रकार की कटौती की जायेगी। कार्मिक उपलब्ध करवाने के एक माह के भीतर कार्मिकों का ईएसआईसी/ईपीएफ का पंजीकरण करवाना होगा।

44. सेवा आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गए मैनपावर/कार्मिकों का चाल–चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके कार्य/चरित्र के संबंध में बोलीदाता/संवेदक पूर्ण उत्तरदायी होगा। उपलब्ध कराये गये मैनपावर/कार्मिकों को बोलीदाता/संवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर आई.डी. देना होगा, ताकि विभाग को

सेवाकर्मियों के बारे में ज्ञान रहे। उपलब्ध मैनपावर/कार्मिकों के द्वारा किसी भी प्रकार का सरकारी सम्पत्ति का नुकसान करने की दशा में क्षतिपूर्ति बोलीदाता/संवेदक को करनी होगी।

45. बोलीदाता/संवेदक को मैनपावर/कार्मिकों का नामवार उपस्थिति कार्ड, पी.एफ. खाता संख्या एवं ई.एस. आई. कार्ड उपलब्ध कराने होगे तथा मैनपावर/कार्मिकों का नामवार उपस्थिति रजिस्टर संधारण करना आवश्यक होगा।

46. बोलीदाता/संवेदक द्वारा उपलब्धक करवाये गये मैनपावर/कार्मिकों की जो सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएगीं राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यालय में प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होना होगा एवं सायंकाल 6:00 बजे तक या कार्य पूर्ण होने तक रुकना होगा। सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले मैनपावर/कार्मिकों को मिशन निदेशक एन.एच.एम एवं इनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशानुसार कार्यालय में कार्य करना होगा।

47. यदि सेवा संबन्धित कार्य हेतु मैनपावर/कार्मिकों की उक्त समय से पूर्व या पश्चात् अथवा राजपत्रित अवकाश दिन आवश्यकता पड़ती हैं तो उन्हें तदानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

48. सेवा प्रदान करने वाले मैनपावर/कार्मिकों की सेवाओं/कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो मिशन निदेशक (एनएचएम) या उसके निर्दिष्ट अधिकारी के निर्देश पर संवेदक को तत्काल उसके स्थान पर समकक्ष योग्यताधारी एवं अनुभवी अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।

49. बोलीदाता/संवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि को जब भी बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा। उपस्थित नहीं होने पर विभाग द्वारा संविदा/अनुबन्ध से भंग माना जायेगा।

50. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिको में से यदि किसी ने कोई अनियमितता/अनुशासनहीनता की तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संवेदक का होगा तथा विधीसम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।

E–विविध

51. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर का निर्णय अन्तिम व सभी को स्वीकार्य होगा। समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

52. यदि संवेदक एवं उनके द्वारा उपलब्ध करवाये गये मैनपावर/कार्मिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसके निपटारे की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इस संबंध में राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी का कोई दायित्व नहीं होगा। नियोजित सेवाओं को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर ओद्यौगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रांवधानों के अनुसार श्रम नियोजित कार्मिको को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का दायित्व सेवा प्रदाता एजेन्सी का होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,

सी–स्कीम, जयपुर–302005

कार्य का नाम :–राज्य स्वास्थ्य समिति (एन.एच.एम.) राजस्थान, मुख्यालय, जयपुर, के तहत विभिन्न शाखाओं/अनुभागो में सीनियर कार्यक्रम सहायक, कार्यक्रम सहायक, जूनियर प्रोग्राम असिस्टेन्ट, पीए/स्टेनो (सिविल), प्रोग्राम असिस्टेन्ट कम डीईओ, सपोर्ट स्टाफ (सहायक कर्मचारी) एवं वाहन चालकों की सेवाऐं उपलब्ध करवाना

तकनीकी बोली प्रपत्र–1

1	बोली आमंत्रित करने वाला विभाग	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम), जयपुर
2	बोलीआमन्त्रण का संदर्भ	सूचना संख्या:– 03/2021–22
3	बोली के अधीन कार्य का विवरण	राज्य स्वास्थ्य समिति (एन.एच.एम.) राजस्थान, जयपुर के तहत विभिन्न शाखाओं/अनुभागो में सीनियर कार्यक्रम सहायक, कार्यक्रम सहायक, जूनियर कार्यक्रम सहायक, प्रोग्राम असिस्टेन्ट, पीए/स्टेनो (सिविल), सपोर्ट स्टॉफ (सहायक कर्मचारी) एवं वाहन चालकों की सेवाऐं उपलब्ध करवाना बोली के **प्रपत्र संख्या – 02** के अनुसार।
4	उपापन संस्था	मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर
5	बोली की विस्तृत शर्ते एवं सूचना https://sppp.rajasthan.gov.in, https://rajswasthya.nic.in, http:/eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 31.12.2021 से देखी जा सकती है	
6	बोली प्रारंभ करने की तिथि	दिनांक 31.12.2021 को दोपहर 03.00 बजे से प्रारंभ
7	बोली अपलोड करने की प्रारंभ तिथि व समय	दिनांक 31.12.2021 को दोपहर 03.00 बजे से प्रारंभ
8	बोली अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	बोली प्रपत्र शुल्क, RISL फीस एवं बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र रू 50/– के स्टाम्प पर दिनांक 07.01.2022 को सांय 04:30 बजे तक भौतिक रूप से कमरा नं0 216, द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, मुख्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर में जमा कराना आवश्यक होगा। उसके बाद डी.डी. प्रस्तुत करने बाले बोलीदाताओं की तकनीकी उवं वित्तीय बोली नही खोली जावेगी)
9	तकनीकी बोली खोलने का दिनांक, समय व स्थान	दिनांक 07.01.2022 को सांय 05:00 बजे कमरा नं0 302, तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, मुख्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
10	बोलीदाता फर्म का विवरण	नाम: पता कार्यालय: टेलीफोन: मोबाईल नं.: प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम: ई–मेल:

		बैबसाइट
11	बोली प्रपत्र शुल्क राशि 1000/– रूपये जमा कराने का विवरण (डिमान्ड ड्राफ्ट **राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी**, जयपुर के नाम से होना चाहिये)	डिमान्ड ड्राफ्ट की फोटो प्रति बोली में अपलोड करें
12	बिड प्रोसेसिंग फीस का 1000/–जमा कराने का विवरण (डिमान्ड ड्राफ्ट Managing Director, RISL के नाम से होना चाहिये)	डिमान्ड ड्राफ्ट की फोटो प्रति बोली में अपलोड करें
13	क्या बोलीदाता फर्म/संस्था पंजीकृत है ? यदि हां तो	
	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	
	पंजीयक कार्यालय/ प्राधिकारी	
	विधि, जिसके तहत पंजीकृत है	
	पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक	
	राज्य जिसमें पंजीकृत है।	
13.(i)	• गत तीन वर्षो (2018–19, 2019–20 तथा 2020–21) में राजकीय विभागों/निगमो/सहकारी संस्थाओं, सरकारी व अर्द्वसरकारी संस्थाओं एवं राज्य सरकार के अधीन स्वायत्तशाषी संस्थाओं में उपलब्ध करवाये गये संविदा कार्मिको के संबंध में कार्य आदेश तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे। • इसके अतिरिक्त एकल कार्य आदेश जिसमें फर्म द्वारा न्यूनतम 25 डेटा एन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर ऑपरेटर) या 25 सपोर्ट स्टॉफ उपलब्ध करवाये गये हो, का प्रतिवर्ष कम से कम एक एकल कार्य आदेश प्रस्तुत करे।	कार्यादेश/ कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
13.(ii)	श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स का विवरण एवं वैद्यता तिथि	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
13.(iii)	पैन (PAN) नम्बर	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
13.(iv)	जीएसटी (GST) पंजीयन नम्बर	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
13.(v)	मैनपावर कार्य काISOप्रमाण पत्र	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
13.(vi)	ESIएवं EPF का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
13.(vii)	फर्म के वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में से कोई 03 वर्ष के अंकेक्षित अंतिम खाते।	संदर्भित गत वित्तीय वर्षो के अंकेक्षित अंतिम खाते, दस्तावेज अपलोड करे। प्रपत्र 05 चार्टड अकाउन्टेन्ट से प्रमाणित करवाकर अपलोड करे।

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार बोलीदाता/संवेदक द्वारा पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

क्रसं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आयकर (पैन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

बोलीदाता हेतु महत्वूपर्ण आवश्यक निर्देश :-

i. वित्तीय दरों को तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजो में कहीं भी उल्लेख नहीं करे, ऐसा करने पर पृथम दृष्टतया बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

ii. तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड को ऑनलाईन वेबसाइट https://www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।

iii. तकनीकी बिड को ई-प्रोक्योरमेन्ट पर ही ऑनलाईन अपलोड करे, इस कार्यालय में भौतिक रूप से जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

iv. अमानत राशि /बोली प्रतिभूति राशि घोषणा पत्र, आरआईएसएल (RISL) फीस को निर्धारित दिनांक 07.01.2022 को सांय 04:30 बजे तक कमरा नं. 216, द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर में जमा करावे, निर्धारित समयावधि पश्चात डीडी फीस स्वीकार नहीं की जावेगी।

v. बिड की पूर्ण जानकारी विभागीय वैबसाइट www.rajswasthya.nic.in तथा https://sppp.rajasthan.gov.inपर देखी जा सकती है।

vi. बिड जमा कराने के संबंध में सूचना की जानकारी हेतु इस कार्यालय के दूरभाष संख्या 0141-2220289 पर सम्पर्क कर सकते है।

बोलीदाता द्वारा घोषणाः–

15. यह कि मैं/हम (नाम) .... मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर द्वारा प्रकाशित अल्पकालीन बोली सूचना संख्या 03/2021–22 दिनांक ....के प्रत्युत्तर के बोली में वर्णित सेवाए उपलब्ध कराने के लिये एतद्द्वारा तकनीकी बोली प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं। तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं:–

(1) बोली प्रपत्र शुल्क राशि 1000/– रूपये जमा कराने का विवरण — पृष्ठ संख्या ....
(2) बिड प्रोसेसिंग फीस का 1000/–जमा कराने का विवरण — पृष्ठ संख्या ....
(3) बोली प्रतिभूति राशि स्टाम्प पेपर पर — पृष्ठ संख्या ....
(4) बोलीदाता फर्म/संस्था के पंजीकरण का विवरण — पृष्ठ संख्या
(5) पिछले 3 वर्षो (2018–19, 2019–20. 2020–21) में सेवाएँ उपलब्धता का कार्य का अनुभव — पृष्ठ संख्या ....
(6) श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स का विवरण एवं वैधता तिथि — पृष्ठ संख्या ....
(7) पैन (PAN) नम्बर — पृष्ठ संख्या
(8) जीएसटी (GST) पंजीयन का विवरण — पृष्ठ संख्या ....
(9) मैनपावर कार्य का ISOप्रमाण पत्र — पृष्ठ संख्या ....
(10) ESIपंजीयन (नवीनतम) प्रमाण पत्र — पृष्ठ संख्या ....
(11) EPFपंजीयन (नवीनतम) प्रमाण पत्र — पृष्ठ संख्या ....
(12) अनुभव प्रमाण पत्र तकनीकी बिन्दु संख्या 18 के क्रम में. — पृष्ठ संख्या ....
(13) सनदी लेखाकार का प्रमाण–पत्र — पृष्ठ संख्या ....
(14) फर्म के वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में से कोई 03 वर्ष के अंकेक्षित अंतिम खाते — पृष्ठ संख्या ....

16. यह कि इस बोली के संबंध में विशिष्ट शर्तें **प्रपत्र संख्या– 3** मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

17. **यह है कि इस बोली के तहत अनुबन्ध होने से पूर्व मेरे द्वारा श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी से श्रमिक ठेका लाइसेंस लेना होगा, उतनी संख्या में श्रमिकों का सामूहिक बीमा मेरे/हमारे द्वारा कराया जावेगा।**

18. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।
नोटः– तकनीकी बोली में उपरोक्त बिन्दु मूल्यांकन की अनिवार्य शर्ते है, जिनके आधार पर बोलीदाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा।

क्र0सं0	बोलीदाता के हस्ताक्षर	
1	दिनांक	
2	संवेदक/संस्था का नाम	
3	संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
4	दूरभाष संख्या (कोड सहित) मोबाईल फोन नम्बर	
5	ई–मेल	
6	वैबसाइट	

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated.............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure E: Declaration as per rule 42 (3) of RTPP Rules 2013

7. Bid Securing Declaration

Form of Bid-Securing Declaration

Date: ***[insert date (as day, month and year)]***
Notice Inviting Bids No.: ***[insert number of bidding process]***

To: ***[insert complete name of Procuring Entity]***

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we will automatically be suspended from being eligible for bidding in any contract with the Procuring Entity for the period of time of *[Procuring Entity to indicate here the period of time for which the Procuring Entity will declare a Bidder ineligible to be awarded a Contract if the Bid Securing Declaration is to be executed.]* starting on the date that we receive a notification from the *Procuring Entity* that our Bid Securing Declaration is executed, if we are in breach of our obligation(s) under the bid conditions, because we:

(a) have withdrawn our Bid during the period of bid validity specified in the Form of Bid; or

(b) having been notified of the acceptance of its Bid by the *Procuring Entity* during the period of bid validity,
   (i) fail or refuse to execute the Contract Form, if required,
   (ii) fail or refuses to furnish the performance security, in accordance with the Instructions to Bidders (hereinafter "the ITB"),

(c) have not accepted the correction of errors in accordance with the ITB, or

(d) have breached a provision of the Code of Integrity specified in ITB;

We understand this Bid-Securing Declaration shall expire if we are not the successful Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of your notification to us of the name of the successful Bidder; or (ii) thirty days after the expiration of our Bid.

Signed.________ ***[insert signature of person whose name and capacity are shown]***

In the capacity of:____
[insert legal capacity of person signing the Bid-Securing Declaration]

Name: ___
[insert complete name of person signing the Bid-Securing Declaration]

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:.
____ ***[insert complete name of Bidder]***

Dated on _____day of ___________________, _________ ***[insert date of signing]***

Corporate Seal____

बोली के अधीन कार्य का विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्य मुख्यालय, जयपुर में सेवाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :
आपूर्ति सेवाओं के कार्य का विवरण

क्र. सं.	आपूर्ति की जाने वाली सेवा का नाम	अनुमानित कार्मिक	निर्धारित न्यूनतम योग्यता	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रति व्यक्ति मासिक मानदेय राशि रूपये में (सेवा शुल्क / जीएसटी / अन्य कर रहित) उक्त मानदेय में सेवाओं का व्यक्तिगत ईएसआई / ईपीएफ का अंशदान सम्मिलित है।
1	2	3	4	5
1.	सीनियर कार्यक्रम सहायक (एनएचएम)	01	स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान (अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में स्टैनो का कार्य) आशुलिपि में हिन्दी में 60 शब्द प्रति मिनिटएवं अग्रेंजी में 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से लेखन की योग्यता व 5 वर्ष का किसी राजकीय / उपक्रम / निजी / बैकिंग संस्थान में कार्य का अनुभव।	33566 / –
2	कार्यक्रम सहायक एनएचएम	04	स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान, 40 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी एवं 60 शब्द प्रति मिनिट अग्रेंजी में टंकण करने की योग्यता व लिपिकीय कार्य का 3 वर्ष से अधिक का एनएचएम अथवा समान क्षेत्र में कार्य का अनुभव।	16081 / –
		9	स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान, 40 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी एवं 60 शब्द प्रति मिनिट अग्रेंजी में टंकण करने की योग्यता व लिपिकीय कार्य का 01 से 03 वर्ष का एनएचएम अथवा समान क्षेत्र में कार्य का अनुभव।	15315 / –
		1	स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान, 40 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी एवं 60 शब्द प्रति मिनिट अग्रेंजी में टंकण करने की योग्यता व लिपिकीय कार्य का 01 वर्ष का एनएचएम अथवा समान क्षेत्र में कार्य का अनुभव।	13891 / –
3	प्रोग्राम असिस्टेन्ट कम डीईओ (एनयूएचएम)	01	स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान, 40 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी एवं 60 शब्द प्रति मिनिट अग्रेंजी में टंकण करने की योग्यता व लिपिकीय कार्य का 01 से 03 वर्ष का एनएचएम अथवा समान क्षेत्र में कार्य का अनुभव।	15315 / –
4	जूनियर कार्यक्रम सहायक (एनएचएम)	85	स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान, 40 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी एवं 60 शब्द प्रति मिनिट अग्रेंजी में टंकण करने की योग्यता एवं पत्रावली संधारण, कार्यालय कार्य का ज्ञान एवं निर्धारित	10264 / –

			टीओआर अनुसार कार्य संपादन, पीयूसी आदि टीओआर अनुसार।	
5	वाहन चालक (एनएचएम)	**08**	10वी पास, लाइट मोटर व्हीकल का वैध **लाइसेंस सहित** 03 वर्ष का वाहन चालन का कार्यानुभव।	10854/–
6	सपोर्ट स्टॉफ (एनएचएम)	**77**	आठवीं पास	7102/–
7	पीए/स्टेनो (सिविल)	**02**	स्नातक, कम्प्यूटर का ज्ञान, 40 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी एवं 60 शब्द प्रति मिनिट अंग्रेंजी में टंकण करने की योग्यता व लिपिकीय कार्य का 2 वर्ष काकिसी राजकीय/उपक्रम/ निजी/बैकिंग संस्थान में कार्य का अनुभव।	14586/–

नोटः–उपरोक्तानुसार सेवाओं की संख्या एवं दरों में भारत सरकार से प्राप्त पीआईपी तथा सक्षम स्तर पर निर्णय होने की स्थिति में नियमानुसार कमी/बेशी की जा सकेगी।

प्रपत्र– 03

Declarations by the Bidder regarding Qualificatiion
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... For procurement of

.... in response to their Notice Inviting Bids No. ....

Dated .... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1- I/We possess the ncecessary professtional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity.
2- I/We have fulfilled may/our obligatin to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3- I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affiars administered by by a court or judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons.
4- I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three year preceding the commencemetn of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5- I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition.

Place

Date

Signature of bidder

Name

Desisgnation

Address

Signature of the bidder with seal

प्रपत्र– 04

FORMAT FOR UNDERTAKING

I/We declare that we have read and understood and that we accept all clauses, conditions and any addendum thereof, and descriptions of the RFP document without any change, reservations and conditions.

I/We have carefully examined and conform to all the parts of the RFP documents and have obtained all the requisite information affecting this proposal and am/are aware of all conditions and difficulties likely to affect the execution of the agreement.

I/We hereby propose to implement the project as describe in the RFP document in conformity with the condidtions of Agreement and the technical aspects as indicated in this RFP.

Place

Date

( )

Signature of authorized signatory

Designation and Official Seal

Note :- The bidders are not required to submit a signed copy of RFP documents along with his proposal.

प्रपत्र– 05

Annual Turn Over Statement

The Average Gross Annual Turnover of M/s........................ .... (Name of firm) .... and address ....of the past three years (Any 03 in below) are given below and certified that the statement is ture and correct :-

Sr. No.	Financial Years	Turnover in Lacs (Rs)
1	2017-18	
2	2018-19	
3	2019-20	
4	2020-21	
Total		Rs. .... Lacs

Average gross annual turnover Rs. .... Lacs

Date

Signature & Seal of the bidder

Signature of Auditor/Seal
Chartered Accountant
(Name & Address)

Tel. No.

Mobile. No

प्रपत्र– 06
Item Rate BOQ

Tender inviting Authority : Mission Director NHM
Name of Work: RFP For "To Provide manpower services in different sections of State Health Society (NHM), Rajasthan, Jaipur"
Contract: F. No 20 (563)/NHM/HR/2021/-2904-Dt-30/12/2021

Sr. No.	Item Description with quantity (No. of manpower)	Percentage (%) value of Service Charge per month
1	**2**	**3**
1	**1.** Senior Programme Assistant (NHM) - 01 **2.** Programme Assistant (NHM) - 04 Programme Assistant (NHM) - 09 Programme Assistant (NHM) - 01 **3.** Programme Assistant cum DEO (NUHM) - 01 **4.** Junior Programme Assistant (NHM) - 85 **5.** Driver (NHM) -08 **6.** Support Staff (NHM) - 77 **7.** PA/Steno (Civil) - 02 **Details of no. of manpower and their respective rates are at Annexure- 02 of Technical bid.**	
	Total	

<u>नोटः–</u>

1. बोलीदाता द्वारा BOQ के कॉलम संख्या 03 में Service ChargeValue per month को प्रतिशत में अंकित करनी है।
2. यदि बोलीदाता सर्विस चार्ज की Value शून्य अथवा ऋणात्मक अंकित करता है, तो उस बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. न्यूनतम दर देने वाला बोलीदाता ही L1 (Most advantegous bidder) होगा। वित्तीय बोली में यदि ऐसी स्थिति उत्पन होती है जिसमें एक से अधिक बोली दाताओ द्वारा समान न्यूनतम सेवा शुल्क दरे प्रदान की गई है, तो निविदा की शर्त संख्या 19 के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता (Most Advantageous Bidder) का चयन किया जायेगा।
4. वित्तीय बोली प्रारूप को तकनीकी बिड के साथ संलग्न नही करे, इसे बिडर द्वारा मात्र ई–प्रोक्योरमेन्ट पर ठक्क के रूप में भरा जाना है।
5. संवेदक द्वारा श्रमिको को देय राशि पर जीएसटी की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
6. फर्म को ईपीएफ की राशि के बिलो का भुगतान विभाग द्वारा 13 प्रतिशत की दर से किया जायेगा, जिसमें एजेन्सी का 01 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क भी सम्मिलित है। ईपीएफ की दरो में 12 प्रतिशत अंशदान कार्मिक के पारिश्रमिक में से फर्म द्वारा जमा करवाया जायेगा।
7. फर्म को ईएसआईसी की राशि के बिलो का भुगतान विभाग द्वारा 03.25 प्रतिशत दर से किया जायेगा। ईएसआईसी की दरो में 0.75 प्रतिशत अंशदान कार्मिक के पारिश्रमिक में से फर्म द्वारा जमा करवाया जायेगा।
8. भविष्य में ईपीएफ एवं ईएसआई की दरो में सरकार (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/श्रम विभाग) द्वारा परिवर्तन करने पर, उसी दर अनुसार ईपीएफ एवं ईएसआईसी की दरे लागू होगी।
9. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.2 (1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 पूर्णतयां लागू होगा।

प्रपत्र– 07

तकनीकी चैक लिस्ट		
क्र. स.	विवरण	पेज संख्या
1	फर्म का नाम	
	पता कार्यालय	
	टेलीफोन	
	मोबाईल नं.	
	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम	
2	फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 1000/– रूपये का डी.डी. राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी, जयपुर के नाम प्रस्तुत किया है	
3	फर्म द्वारा बिड प्रोसेसिंग फीस राशि 1000/–रूपये का डी.डी. MD, RISLके नाम प्रस्तुत किया हैं	
4	फर्म द्वारा बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र रू 50/– के स्टॉम्प पर प्रस्तुत किया है	
5	क्या बोलीदाता फर्म/संस्था पंजीकृत है ?	
	यदि हां तो	
	(i) पंजीयन क्रमांक .... दिनांक	
	(ii)पंजीयक कार्यालय का नाम	
	(iii) पंजीयन की वैधता दिनांक .... से .... तक	
	(iv) राज्य जिसमे पंजीकृत है	
6	फर्म द्वारा प्रस्तुत बोली के समस्त दस्तावेजो पर डिजिटल साईन किये हुये है	
7	फर्म द्वारा किसी भी विभाग में ब्लेक लिस्टेड/डिबारमेन्ट नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है	
8	फर्म द्वारा गत तीन वर्षो (2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में से कोई 03 वर्ष) का औसत टर्नओॉवर 60.00 लाख रूपये से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये है	
9	फर्म द्वारा गत तीन वर्षो (2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में से कोई 03 वर्ष) की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है	
10	फर्म द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष (2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) में न्यूनतम 25 डाटा एण्ट्री आपरेटर या 25 सपोर्ट स्टाफ उपलब्ध कराये जाने का कार्यादेश प्रस्तुत किया है	
11	फर्म द्वारा श्रम विभाग के अधिनियम 1970 के अनुसार जारी लाईसेन्स प्रस्तुत किया है	

12	फर्म द्वारा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य सस्थान अधिनियम 1958/**Indian Patnership Act. 1932/ Indian Company Act.** 1956 के अन्तर्गत पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है	
13	**फर्म द्वारा पैन (PAN) नम्बर संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किया है**	
14	**फर्म द्वारा जीएसटी पंजीयन नम्बर संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किया है**	
15	फर्म द्वारा मैनपावर कार्य का **ISO**संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है	
16	फर्म द्वारा **ESI**का रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है	
17	फर्म द्वारा**EPF** का रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है	
18	फर्म द्वारा प्रपत्र 01 के **AnnexureA, B, C, D, E** प्रस्तुत किये है	
19	फर्म द्वारा प्रपत्र 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रस्तुत किये है	
20	अन्य विवरण	

Agreement

1. An Agreement made this ----------------- of M/S ------------------------, (herein after called " the approved supplier") , which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators) of the one part and National Health Mission (NHM), Rajasthan state Medical and Health Society, SwasthayaBhawan, TilakMarg, C scheme, Jaipur (hereinafter called "the government" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assign) of the other part.

2. Whereas the approved supplier has agreed with NHM Rajasthan State Health Society, SwasthyaBhawan, TilakMarg, C scheme, Jaipur to supply the Manpower on Contract Basis, to N.R.H.M. Rajasthan at its Head Office all those manpower set forth in the schedule appended here to the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column .... of the said schedule.

3. **Now these Present witnesses:**

(1) In consideration of the payment to be made by NHMRajasthan State Health Society, SwasthyaBhawanTilakMarg, C scheme, Jaipur through AC Payee Cheque at the rates set forth in the schedule hereto appended the approved supplier will supply the said manpower set forth in .... and .... Thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

(2) The condition of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No. ....dated................. and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(3) If the service provider doesn't ensure Deposit of ESI, EPF in the Employeesrespective accounts every month as per law, then action against the firm will be initiated as per the RFP &directions of MD, NHM.

(4) The agreement will be effective from................ for one year. Allterms and conditions of RTTP Act. 2013 & 2013 shall be applicable.

(5) Letter Nos. F.20(563)/NRHM/HR/Tender/2019/...........Dated ....issued by NHM, Rajasthan State Health Society, SwasthyaBhawanTilakMarg, C scheme, Jaipur and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(6) (a) NHM, Rajasthan State Health Society, SwasthyaBhawanTilakMarg, C scheme , Jaipur do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said manpower in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, NHM, Rajasthan State Health Society, SwasthyaBhawanTilakMarg, C scheme, Jaipur will make payment or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment according to rates approved in PIP by the Government of India time to time for each services after approval of MD, NHM.

(b) The Mode of Payment will be as specified below:-

1. A/C Payee Cheque
2. NEET/RTGS
3. The Delivery of services (supply of manpower) shall be affected and completed within the period noted below form the date of supply order:-

As Per Attached Annexure.

(7) Service provider will have to ensure supply of 100% manpower every month. If due to some reasons and the shortage, if any, the service provider will have to arrange the manpower immediately and if fails to do so, 10 % of the invoice amount shall be deducted.

4. All disputes arising out of this agreement and all questions to the interpretations of this agreement shall be decided by the NHM, Rajasthan State Health society, SwasthyaBhawanTilakMarg, C scheme, Jaipur and the decision of the NHM, Rajasthan State Health Society, SwasthyaBhawanTilakMarg, C scheme, Jaipur shall be final.

5. **Termination/ Suspension of Agreement**

I. The First Party may, by a notice in writing suspend the Agreement if the service provider fails to perform any of his obligations including carrying out the services, provided that such notice of suspension -

II. Shall specify the nature of failure, and

III. Shall request remedy of such failure within a period not exceeding 15 days after the receipt of such notice

IV. The Government after giving 30 days clear notice in writing expressing the intention of termination by stating the ground/grounds on the happening of any of the events (a) to (d) as enumerated below, may terminate the Agreement after giving reasonable opportunity of being heard to the service provider.

a. if the service provider does not remedy a failure in the performance of his obligations within 15 days of receipt of notice or within such further period as the Government have subsequently approved in writing.

b. if the service provider becomes insolvent or bankrupt.

c. if, as a result of other than force majeure conditions, service provider is unable to perform a material portion of the services for a period of not less than 60 days.

d. if, in the judgement of the Government, the service provider is engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in implementation of the project.

In witness where of the parties hereto have set their hands on the day of..../....../2020

Signature of Authorized Representative
....

Signature for and on behalf of N.H.M
Rajasthan State Health Society,
C scheme, Jaipur

Date:

Date:

Witness No. 1

1. Witness

Witness No. 2

2. Witness